रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1161] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 1161] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

का.आ. 1827(अ).—यत: मै. डीएलएफ लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य के गाँव पटीया, पीएस चन्द्रशेखरपुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुरदा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है;

और यत: केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 278(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा उड़ीसा राज्य के गाँव पटीया, पीएस चन्द्रशेखरपुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुरदा में 10.239 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र अधिसूचित किया है जिसमें नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित खसरा सं. एवं क्षेत्रफल शामिल है;

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	पलॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पटीय	474/1607	01 (पी)	6.457
2.		474/1607	06 (पी)	1.353
3.		474/1607	20 (पी)	2.429
			कुल	**10.239**

और यत: डीएलएफ लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य के गाँव पटीया, पीएस चन्द्रशेखरपुर, तउसील भुवनेश्वर, जिला खुरदा में 10.239 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव भी किया है और केन्द्र सरकार ने 5 जून, 2009 को 10.239 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने हेतु अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है ;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 7 फरवरी, 2008 को का.आ. 278(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना को निरस्त करती है । सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं ।

[फा. सं. एफ. 2/715/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2009

S.O. 1827(E).— Whereas, M/s. DLF Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Patia, PS : Chandrasekharpur, Tehsil : Bhubneshwar, District Khurda, in the State of Orissa;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, has notified the total area of 10.239 hectares at Village Patia, PS : Chandrasekharpur, Tehsil Bhubneshwar, District Khurda, in the State of Orissa as Special Economic Zone in the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Notification No. S.O. 278 (E) dated 7th February, 2008;

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Khasra No.	Plot No.	Area (in Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Patia	474/1607	01 (P)	6.457
2.		474/1607	06(P)	1.353
3.		474/1607	20(P)	2.429
			Total	**10.239**

And, whereas, M/s. DLF Limited has also proposed to de-notify an area of 10.239 hectares at Village Patia, PS : Chandrasekharpur, Tehsil Bhubneshwar, District Khurda, in the State of Orissa and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of 10.239 hectares at Orissa on 5th June, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) dated 7th day of February, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 278(E) dated the 7th February, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/715/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.